NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 25-11-2025

विषय सूची

» इथियोपिया के लंबे समय से सुषुप्त ज्वालामुखी हेली गुब्बी में 12,000 वर्ष पश्चात विस्फोट
» न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI)
» महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस
» सर्वोच्च न्यायालय पैनल द्वारा हिरासत में मृत्यु की जांच में भारी देरी की ओर संकेत
» भारत-फ्रांस मिलकर HAMMER बनाएंगे

संक्षिप्त समाचार

» प्रधानमंत्री द्वारा लाचित दिवस पर लाचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि अर्पित
» गावी और यूनिसेफ द्वारा मलेरिया वैक्सीन की आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित
» सूर्यकिरण अभ्यास
» INS माहे

इथियोपिया के लंबे समय से सुषुप्त ज्वालामुखी हेली गुब्बी में 12,000 वर्ष पश्चात विस्फोट

समाचार में

- एक लंबे समय से सुषुप्त ज्वालामुखी ने इथियोपिया में 12,000 वर्षों बाद विस्फोट किया, जिससे राख के गुबार लाल सागर के पार यमन, ओमान और यहाँ तक कि भारत के कुछ हिस्सों तक फैल गए।

इथियोपिया का अफार डिप्रेशन और पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट

- हैली गुब्बी ज्वालामुखी इथियोपिया के अफार क्षेत्र में अदीस अबाबा से लगभग 800 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है।
  - अफार डिप्रेशन, जिसे दनाकिल डिप्रेशन भी कहा जाता है, एक भूवैज्ञानिक अद्भुत क्षेत्र है जहाँ तीन विवर्तनिक प्लेटें मिलती हैं: अफ्रीकी (न्यूबियन) प्लेट, सोमालियन प्लेट और अरबियन प्लेट।
- यह क्षेत्र व्यापक पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट प्रणाली (EARS) का हिस्सा है, जो पृथ्वी के सबसे भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है।
- पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट प्रणाली (EARS) के अंतर्गत, अफ्रीकी प्लेट को न्यूबियन प्लेट (पश्चिमी) और सोमालियन प्लेट (पूर्वी) में विभाजित किया गया है।

ज्वालामुखीयता क्या है?

- **अवलोकन:** ज्वालामुखीयता (या ज्वालामुखीय गतिविधि) वह घटना है जिसमें पिघला हुआ पत्थर (मैग्मा), गैसें और ज्वालामुखीय राख पृथ्वी की सतह पर क्रस्ट में मौजूद वेंट्स या दरारों से बाहर निकलती हैं।
- **विस्फोट:** ऊपरी मेंटल में, एक कमजोर परत जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, आंशिक रूप से पिघली हुई सामग्री को एकत्रण होने देती है; उछाल वाला मैग्मा फिर लिथोस्फीयर की दरारों से ऊपर उठता है। सतह के पास दबाव कम होने पर, घुली हुई गैसें (जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर गैसें आदि) तीव्रता से फैलती हैं, जो मैग्मा को ऊपर की ओर धकेलती हैं और विस्फोट उत्पन्न करती हैं।
  - जब मैग्मा सतह पर निकलता है तो इसे लावा कहा जाता है, जो संरचना के आधार पर तरल (बेसाल्टिक) या सघन (एंडेसाइटिक–रियोलिटिक) हो सकता है।

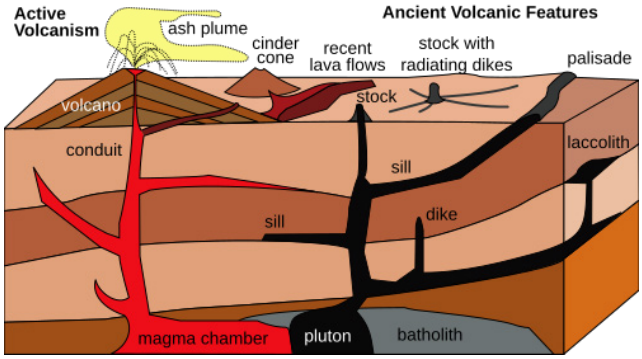

- **सकारात्मक परिणाम:** वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आंतरिक ढांचे और संरचना का अनुमान लगाने में सहायता करता है।
  - मौसम से प्रभावित ज्वालामुखीय राख अत्यधिक उपजाऊ मृदा उत्पन्न करती है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है।
  - विस्फोट अल्पकालिक वैश्विक शीतलन में योगदान कर सकते हैं जब स्ट्रैटोस्फीयर में सल्फर एरोसोल सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं और अस्थायी रूप से सतह का तापमान कम कर देते हैं।

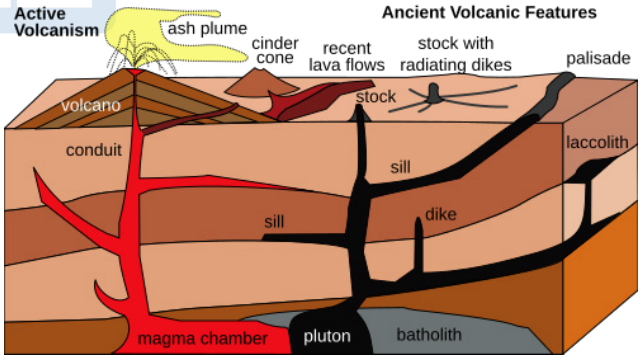

- **नकारात्मक परिणाम:** ज्वालामुखीय विस्फोट राख और विषैली गैसों के कारण वायु गुणवत्ता को खराब करते हैं, जिससे श्वसन रोग एवं अम्लीय वर्षा होती है जो फसलों, जल निकायों तथा बुनियादी ढांचे को हानि पहुँचाती है।
  - ये भूकंप, भूस्खलन, लाहार, पाइरोक्लास्टिक प्रवाह और लावा प्रवाह जैसी संबंधित आपदाओं को उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जन और संपत्ति की हानि होती है।

- ज्वालामुखीय प्लूम दृश्यता को अवरुद्ध कर सकता है और उड़ान संचालन में बाधा डाल सकता है, क्योंकि महीन कण इंजन में प्रवेश कर सकते हैं और अंदर पिघल सकते हैं।

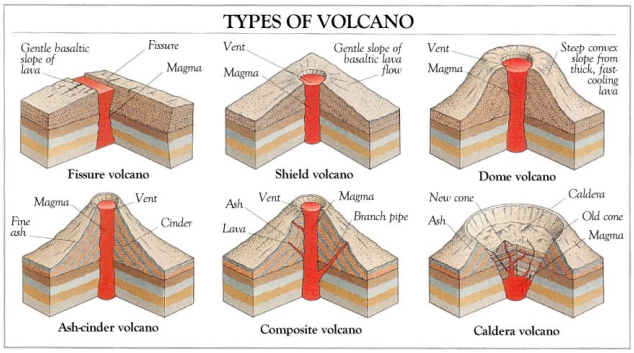

Source: TH

न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI)

संदर्भ

- हाल ही में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली, उन्होंने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई का स्थान लिया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत: करियर की प्रमुख उपलब्धियाँ

- जन्म: हिसार, हरियाणा (1962)
- हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता (2000)
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत (2004)
- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (2018)
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (2019)

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के बारे में

- **औपनिवेशिक न्यायपालिका में उत्पत्ति:** मुख्य न्यायाधीश का पद अपनी वंशावली 1774 में ब्रिटिश संसद द्वारा विनियम अधिनियम के अंतगर्त स्थापित फोर्ट विलियम में न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त करता है।
  - यह एक मुख्य न्यायाधीश द्वारा संचालित था, जिसमें सर एलिजाह इम्पी भारत में इस पद को धारण करने वाले पहले व्यक्ति बने।
  - समय के साथ, कलकत्ता (1862), बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, प्रत्येक का नेतृत्व भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया।
- **स्वतंत्रता-उपरांत संवैधानिक ढाँचा:** भारत का संविधान (1950) ने अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की औपचारिक स्थापना की, जिसने संघीय न्यायालय (1937–1950) का स्थान लिया।
  - न्यायमूर्ति हरिलाल जेकिसुंदास कानिया 26 जनवरी, 1950 को भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने, जिस दिन संविधान प्रभावी हुआ।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के संवैधानिक प्रावधान

- भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग V, अध्याय IV (अनुच्छेद 124 से 147) के अंतर्गत स्थापित है। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
- **अनुच्छेद 124:** सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना।
  - **अनुच्छेद 124 (1):** भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे।
  - **अनुच्छेद 124 (2):** सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के अंतर्गत नियुक्त किया जाएगा और वह पद पर तब तक रहेगा जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
- **अनुच्छेद 145:** यह सर्वोच्च न्यायालय को अपनी प्रक्रिया और अभ्यास को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में।
- **अनुच्छेद 146:** यह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों पर मुख्य न्यायाधीश को अधिकार देता है।

- **अनुच्छेद 147:** यह 'सर्वोच्च न्यायालय' शब्द को मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को शामिल करने के रूप में परिभाषित करता है।

न्यायिक स्वतंत्रता और सुरक्षा उपाय

- **कार्यकाल सुरक्षा:** मुख्य न्यायाधीश को अनुच्छेद 124(4) और (5) के अंतर्गत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने के लिए सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता आवश्यक है।
- **वित्तीय स्वायत्तता:** वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि (CFI) से लिए जाते हैं।
- **सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंध:** मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकते।

मुख्य न्यायाधीश की प्रमुख जिम्मेदारियाँ

- **भारत के राष्ट्रपति की शपथ:** प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, उसे पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या, उनकी अनुपस्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ या प्रतिज्ञान करना होगा।
- **न्यायिक नेतृत्व:** संविधान पीठों की अध्यक्षता करते हैं और अन्य न्यायाधीशों को मामले आवंटित करते हैं।
  - **मास्टर ऑफ द रोस्टर:** यह शब्द मुख्य न्यायाधीश के उस विशेषाधिकार को संदर्भित करता है कि कौन सा न्यायाधीश कौन सा मामला सुनेगा। इसे 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनः पुष्टि की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को 'न्यायालय का प्रवक्ता' और पीठ संरचना पर एकमात्र अधिकार घोषित किया गया।
- **प्रशासनिक प्रमुख:** सर्वोच्च न्यायालय और उसकी रजिस्ट्री के कामकाज की देखरेख करते हैं।
- **कोलेजियम प्रणाली:** उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने वाले कोलेजियम का नेतृत्व करते हैं।
- **अंतिम अपील न्यायालय:** सर्वोच्च न्यायालय नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में अंतिम अपील न्यायालय है।
  - **अनुच्छेद 32:** यह न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार देता है, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्टियोरारी।
  - **अनुच्छेद 136:** यह न्यायालय को किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश से विशेष अनुमति से अपील स्वीकार करने का विवेकाधिकार देता है।
- **न्यायिक समीक्षा और संविधान का संरक्षक:** मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है:
  - असंवैधानिक कानूनों और कार्यकारी कार्रवाइयों को निरस्त करना।
  - संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करना, विशेषकर संघीय विवादों, मौलिक अधिकारों और चुनावी कानूनों से संबंधित मामलों में।
  - सरकार की तीन शाखाओं के बीच जाँच और संतुलन सुनिश्चित करना।
- **परामर्शी भूमिका:** चुनाव आयुक्तों और लोकपाल सदस्यों की नियुक्ति जैसे मामलों में परामर्शी भूमिका निभाते हैं।

53वें मुख्य न्यायाधीश के लिए चुनौतियाँ और प्राथमिकताएँ

- **न्यायिक लंबित मामले और बैकलॉग:** केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही 90,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जबकि निचली अदालतों में लाखों मामले हैं।
  - 'विविध आवेदन' और लंबी मुकदमेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति ने न्यायिक दक्षता और प्रक्रियात्मक अनुशासन को इंगित किया है।

Other Concerns over the Chief Justice of India (CJI)

- Judicial Independence and Executive Influence;
- Collegium System and Lack of Transparency;
- Corruption and Misconduct;
- Short Tenures and Missed Reforms;

- उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मामले सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को बढ़ावा दें और डिजिटल केस प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करें।

- **SIR मामला:** एक संवैधानिक चुनौती जिसमें संप्रभु अवसंरचना पुनः आवंटन और संघीय वित्तीय शक्तियाँ शामिल हैं।

Source: TH

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

समाचार में

- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में "सभी महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध डिजिटल हिंसा समाप्त करने के लिए एकजुट हों" विषय के साथ मनाया गया।

पृष्ठभूमि

- 1993 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन पर घोषणा को अपनाया, जिसने वैश्विक कार्रवाई की नींव रखी।
- 2000 में, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, जिससे सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और एनजीओ को विश्व स्तर पर वार्षिक जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

वर्तमान स्थिति और मुद्दे

- महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा सबसे व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है, जिसमें वैश्विक स्तर पर लगभग प्रत्येक तीन में से एक महिला शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होती है, और प्रत्येक 10 मिनट में एक महिला या लड़की अपने साथी या परिवार के सदस्य द्वारा मारी जाती है।
- ऑनलाइन दुर्व्यवहार तेजी से बढ़ रहा है, जो राजनीति, सक्रियता और पत्रकारिता में महिलाओं को निशाना बना रहा है।
- ऐसी हिंसा की वृद्धि कमजोर नियमन, कानूनी मान्यता की कमी, प्लेटफार्मों की दंडमुक्ति, विकसित हो रहे एआई-सक्षम दुर्व्यवहार, लैंगिक समानता विरोधी आंदोलनों, अपराधियों की गुमनामी और पीड़ितों के लिए सीमित समर्थन से प्रेरित है।

भारत की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने की लड़ाई: कानून और विधायन

- **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), जनवरी 1992 में स्थापित:** कानूनी सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है, शिकायतों को ऑनलाइन और ऑफलाइन संभालता है, तथा 24×7 घरेलू हिंसा हेल्पलाइन चलाता है।
- **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA):** घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जिसमें शारीरिक, यौन, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार शामिल हैं।
- **POSH अधिनियम, 2013:** आंतरिक समितियों (ICs) और स्थानीय समितियों (LCs) के माध्यम से कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का SHe-Box शिकायत रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग को केंद्रीकृत करता है।
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023 (1 जुलाई, 2024 से प्रभावी):** आईपीसी को प्रतिस्थापित करता है, यौन अपराधों के लिए दंड को सुदृढ़ करता है (नाबालिगों के बलात्कार के लिए आजीवन कारावास सहित), परिभाषाओं का विस्तार करता है, और पीड़ित के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करता है।

प्रमुख योजनाएँ और सहायता सेवाएँ

- **मिशन शक्ति:** महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और जीवन चक्र में सशक्तिकरण को बढ़ाने वाला मिशन-मोड कार्यक्रम।
- **स्वाधार गृह योजना:** कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को आश्रय, भोजन, कानूनी सहायता, परामर्श और पुनर्वास प्रदान करती है।

- **वन स्टॉप सेंटर (OSCs):** जिला स्तर पर एकीकृत सेवाएँ प्रदान करने वाले केंद्र — पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, परामर्श और अस्थायी आश्रय।
- **स्त्री मनोरक्षा:** NIMHANS द्वारा OSC कर्मचारियों के लिए मनो-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन पर प्रशिक्षण।
- **हेल्पलाइन और आपातकालीन प्रतिक्रिया:**
  - महिला हेल्पलाइन 181 (24×7 राष्ट्रीय स्तर पर सहायता)।
  - आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ERSS) 112 पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए।
  - व्हाट्सएप हेल्पलाइन (7217735372) त्वरित सहायता के लिए।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत मिशन शक्ति के वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन के माध्यम से, साथ ही भारतीय न्याय संहिता, 2023 जैसे कानूनी सुधारों और डिजिटल उपकरणों व डिजिटल शक्ति अभियान के जरिए लैंगिक आधारित हिंसा के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को सुदृढ़ कर रहा है।
- ये उपाय सुलभ रिपोर्टिंग, पीड़ित समर्थन और तीव्र न्याय सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं, जो भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि महिलाएँ और लड़कियाँ एक सुरक्षित, समावेशी वातावरण में गरिमा एवं समानता के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन जीवन जी सकें।

Source :PIB

सर्वोच्च न्यायालय पैनल द्वारा हिरासत में मृत्यु की जांच में भारी देरी की ओर संकेत

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय की एक समिति ने जेल सुधारों पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हिरासत में हुई मृत्युओं की जाँच में गहरे तंत्रगत अंतराल का खुलासा किया गया है।

मुख्य बिंदु

- **हिरासत में मृत्यु की जाँच में देरी:** रिपोर्ट में राज्य के फॉरेंसिक लैब्स में 52% कर्मचारियों की कमी के कारण फॉरेंसिक जांच में गंभीर देरी को उजागर किया गया।
  - इसके परिणामस्वरूप, 2023 तक जिला अदालतों में हिरासत में हुई मृत्युओं की 1,237 जांचें एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित रहीं।
- **जेल प्रशासन में समस्याएँ:** जेल मैनुअल्स में सफाई और स्वच्छता से संबंधित कार्यों को 'तुच्छ' या 'अपमानजनक कार्य' कहा जाता है, जो श्रम के प्रति एक पदानुक्रमित दृष्टिकोण को बनाए रखता है।
  - कुछ राज्यों में जेल मैनुअल्स अब भी जाति-आधारित पूर्वाग्रहों को बनाए रखते हैं, जिसमें कैदियों को उनकी जाति पहचान के आधार पर कार्य सौंपा जाता है।
- **भुगतान में असमानता:** कैदियों को दिए जाने वाले दैनिक वेतन में भारी असमानताएँ हैं, जो मिज़ोरम में 20 रुपये से लेकर कर्नाटक में 524 रुपये तक हैं।
  - कई राज्य कैदियों को उनके श्रम के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन से कहीं कम भुगतान करते हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल:** अधिकांश राज्यों में जेल चिकित्सा अधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में आवश्यक प्रशिक्षण नहीं मिला है, जो 2018 मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम का उल्लंघन है और कैदियों के कल्याण को प्रभावित करता है।
- **न्यायिक प्रक्रिया में देरी:** न्यायिक प्रक्रिया में देरी, विशेषकर उन आरोपियों के लिए जो एक वर्ष से अधिक समय से हिरासत में हैं, भारत की कानूनी प्रणाली में एक बड़ी चुनौती है।

भारत में हिरासत में मृत्युओं

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अनुसार, 2016 से 2022 के बीच भारत में 11,650 मृत्युओं हिरासत में हुईं।
  - अकेले उत्तर प्रदेश ने 2,630 हिरासत में मृत्युओं की रिपोर्ट दी है, जो देश में सबसे अधिक है।

- **मैजिस्ट्रियल जांच:** NHRC और सरकारी आंकड़ों के 2023 विश्लेषण से पता चलता है कि 2017 से 2022 के बीच, केवल 345 मैजिस्ट्रियल जांचें देशभर में आदेशित की गईं, जिनमें से केवल 123 गिरफ्तारियाँ हुईं।
- **कमजोर समूह:** NHRC डेटा से पता चलता है कि 1996 से 2018 के बीच हुई 71% हिरासत में मृत्युएँ गरीब या कमजोर पृष्ठभूमि वाले बंदियों से संबंधित थीं।

भारत में हिरासत में मृत्युएँ क्यों व्यापक हैं?

- **औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था की विरासत:** भारतीय पुलिस प्रणाली अब भी 1861 पुलिस अधिनियम से प्रभावित है, जिसे सेवा नहीं बल्कि नियंत्रण के लिए बनाया गया था।
- **कमजोर जवाबदेही तंत्र:** हिरासत में मौतों की जांच प्रायः उसी पुलिस विभाग द्वारा की जाती है, जिससे पक्षपात होता है।
- **जाँच के उपकरण के रूप में यातना:** खराब प्रशिक्षण और फॉरेंसिक ढांचे की कमी के कारण पुलिस प्रायः स्वीकारोक्ति निकालने के लिए थर्ड-डिग्री तरीकों का सहारा लेती है।
- **हाशिए पर और कमजोर समूह:** अधिकांश पीड़ित कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। कानूनी साक्षरता और संसाधनों की कमी परिवारों को न्याय पाने से रोकती है।
- **सुरक्षा उपायों का खराब कार्यान्वयन:** संविधान के अनुच्छेद 21 और 22, डी.के. बसु दिशानिर्देश (1997), NHRC निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्रायः नजरअंदाज किए जाते हैं।
  - अनिवार्य आवश्यकताएँ जैसे चिकित्सा परीक्षण, गिरफ्तारी मेमो और रिश्तेदारों को सूचित करना नियमित रूप से उल्लंघन किए जाते हैं।

चिंताएँ

- **कानून के शासन का क्षरण:** यह दिखाता है कि अनुच्छेद 21 – जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 22 – मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा जैसी संवैधानिक सुरक्षा उपायों का नियमित उल्लंघन हो रहा है।
  - इससे न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास कमजोर होता है।
- **मानवाधिकार छवि:** अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत को UNHRC और ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्टों में आलोचना का सामना करना पड़ता है।
  - यह भारत की नैतिक स्थिति को कमजोर करता है जब वह अन्य देशों में मानवाधिकार मुद्दों पर बोलता है।
- **पुलिस-राज्य की धारणा:** हिरासत में मृत्युओं की उच्च संख्या भारत को कल्याण-उन्मुख लोकतंत्र के बजाय एक पुलिस राज्य के रूप में प्रस्तुत कर सकती है।
- **कमजोर आपराधिक न्याय प्रणाली:** भारत की कमजोर आपराधिक न्याय प्रणाली आधुनिक पुलिसिंग, फॉरेंसिक विज्ञान और तकनीक-आधारित तरीकों को अपनाने में अक्षमताओं से चिह्नित है।

भारत में हिरासत में मृत्युओं को रोकने के लिए कानूनी पहल

- **सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देश (डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997):** इसमें अनिवार्य गिरफ्तारी और हिरासत सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए: रिश्तेदारों को सूचित करना, गिरफ्तारी मेमो बनाए रखना, चिकित्सा परीक्षण, कानूनी परामर्श, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना। ये दिशानिर्देश अनुच्छेद 141 के अंतर्गत लागू कानून माने जाते हैं।
- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC):** NHRC सभी हिरासत में मृत्युओं की 24 घंटे के अंदर अनिवार्य रिपोर्टिंग की मांग करता है।
  - राज्यों से परामर्श जारी करता है और अनुपालन रिपोर्टें मांगता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय के CCTV कैमरों पर निर्देश (2020, परमवीर सिंह सैनी मामला):** सभी पुलिस स्टेशनों और जेलों में नाइट विज़न और ऑडियो वाले CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया।
  - निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर स्वतंत्र समितियों का आदेश दिया।
- **न्यायिक पर्यवेक्षण:** उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय नियमित रूप से हिरासत में मृत्यु के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, मुआवजा आदेशित करते हैं और पुलिस सुधारों की निगरानी करते हैं।

- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 (CrPC को प्रतिस्थापित करते हुए):** गिरफ्तारी में अधिक पारदर्शिता, फॉरेंसिक तरीकों का उपयोग और नागरिक-केंद्रित प्रक्रियाओं के प्रावधान प्रस्तुत करता है।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023:** दंड और साक्ष्य कानूनों का आधुनिकीकरण करते हैं, स्वीकारोक्ति-आधारित पुलिसिंग पर निर्भरता को कम करते हैं।

निष्कर्ष

- हिरासत में मृत्युएँ भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं।
- हालाँकि सरकार ने कानूनी सुरक्षा उपाय, न्यायिक निर्देश और संस्थागत तंत्र पेश किए हैं, उनकी प्रभावशीलता सख्त प्रवर्तन, पुलिस सुधार एवं तकनीक-आधारित जांच की ओर बदलाव पर निर्भर करती है।

Source: IT

भारत-फ्रांस मिलकर HAMMER बनाएंगे

संदर्भ

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और फ्रांस की सफ़रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस (SED) ने भारत में HAMMER प्रिसिजन-गाइडेड एयर-टू-ग्राउंड हथियार प्रणाली के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

परिचय

- यह समझौता 2025 में एयरो इंडिया के दौरान हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन का अनुसरण करता है।
  - योजना के अंतर्गत, भारत में 50:50 हिस्सेदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की जाएगी।
- संयुक्त उद्यम भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए HAMMER हथियार प्रणाली के निर्माण, आपूर्ति एवं रखरखाव का स्थानीयकरण करेगा।
  - स्वदेशीकरण धीरे-धीरे लगभग 60% तक बढ़ने की संभावना है, जिसमें उप-असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक भाग शामिल होंगे।
- HAMMER (अत्यधिक फुर्तीला मॉड्यूलर आयुध विस्तारित रेंज) अत्यधिक फुर्तीला है और लद्दाख जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में संचालन के लिए उपयुक्त है।
  - ग्लाइड बम के रूप में भी जाना जाने वाला HAMMER प्रिसिजन-गाइडेड हथियारों की सीमा 70 किमी तक होती है और इसे 250 किग्रा, 500 किग्रा, 1,000 किग्रा वजन वाले मानक बमों पर लगाया जा सकता है।
  - यह कई लड़ाकू विमानों के साथ संगत है, जिनमें राफेल और हल्के लड़ाकू विमान तेजस शामिल हैं।
  - 70 किमी तक की सीमा के साथ, यह शत्रु वायु रक्षा कवरेज के बाहर से स्टैंड-ऑफ हमलों को सक्षम बनाता है।

भारत-फ्रांस संबंधों की प्रमुख विशेषताएँ

- **भारत–फ्रांस रणनीतिक साझेदारी:** यह 26 जनवरी 1998 को शुरू हुई थी और यह भारत की प्रथम रणनीतिक साझेदारी है।
  - **मुख्य दृष्टि:** रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाना और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना।
  - **मुख्य रणनीतिक स्तंभ:** रक्षा और सुरक्षा, नागरिक परमाणु सहयोग एवं अंतरिक्ष सहयोग।
  - **विस्तारित क्षेत्र:** इंडो-पैसिफिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा, डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, उन्नत प्रौद्योगिकियाँ और आतंकवाद-रोधी उपाय।
- **रक्षा सहयोग:** वार्षिक रक्षा संवाद (मंत्री-स्तर) और उच्च रक्षा सहयोग समिति (HCDC) (सचिव-स्तर) के माध्यम से समीक्षा की जाती है।
  - **राफेल लड़ाकू विमान:** भारत ने डसॉल्ट एविएशन से राफेल खरीदे।
  - **स्कॉर्पीन पनडुब्बियाँ (प्रोजेक्ट P-75):** फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ सहयोग, भारत में 6 पनडुब्बियाँ बनाई गईं; नवीनतम है INS वाघशीर।
  - **लड़ाकू विमान इंजन विकास:** HAL और फ्रांस की सफ़रान हेलीकॉप्टर इंजन्स ने IMRH कार्यक्रम के अंतर्गत इंजन सह-विकास के लिए समझौता किया।

- हाल ही में दोनों देशों ने भारतीय नौसेना के लिए राफेल-M लड़ाकू विमानों की खरीद हेतु एक अंतर-सरकारी समझौते (IGA) को औपचारिक रूप से पूरा किया।
- **भविष्य की योजनाएँ:** आगामी पीढ़ी के लड़ाकू विमान इंजनों का सह-विकास।
- **संयुक्त अभ्यास:** शक्ति, वरुणा, FRINJEX-23।

- **आर्थिक सहयोग:** यूरोपीय संघ के अंदर, फ्रांस भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली और जर्मनी के बाद।
  - 2023-24 में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार विगत दशक में दोगुने से अधिक होकर 15.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
  - दोनों देश संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकियों का विकास और वर्तमान प्रौद्योगिकियों का एकीकरण करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं।
  - फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को सक्षम बनाने की प्रक्रिया सफल रही है।
  - फ्रांसीसी प्रौद्योगिकियाँ विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, सतत निर्माण और शहरी अवसंरचना विकास में भारत में एकीकृत की जा रही हैं।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** ISRO और CNES (फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी) के बीच 60 वर्षों से अधिक का सहयोग है।
  - फ्रांस अंतरिक्ष घटकों, प्रक्षेपण सेवाओं (Arianespace) का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
  - **संयुक्त मिशन:** TRISHNA (उपग्रह मिशन), MDA सिस्टम, ग्राउंड स्टेशन समर्थन।
- **ऊर्जा सहयोग:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सह-स्थापित।
  - **परमाणु ऊर्जा सहयोग:** इंडो-फ्रेंच रणनीतिक संवाद के ढाँचे में परमाणु ऊर्जा पर विशेष कार्य बल की प्रथम बैठक 2025 में आयोजित की गई।
    - दोनों पक्षों ने कम और मध्यम शक्ति वाले मॉड्यूलर रिएक्टर या छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर (AMR) पर साझेदारी स्थापित करने पर काम करने पर सहमति व्यक्त की।
- **समुदाय:** फ्रांस में अनुमानित 1,19,000 भारतीय समुदाय हैं, जो मुख्य रूप से पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों से उत्पन्न हुए हैं।

चिंता के क्षेत्र

- **व्यापार असंतुलन:** द्विपक्षीय व्यापार क्षमता से कम है, विशेषकर भारत के अन्य यूरोपीय संघ देशों के साथ व्यापार की तुलना में।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा प्रतिबंध:** यद्यपि फ्रांस ने भारत के रक्षा लक्ष्यों का समर्थन किया है, बड़े रक्षा उपकरणों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की गहराई को लेकर चिंताएँ हैं।
- **परमाणु दायित्व चिंताएँ:** 2008 में नागरिक परमाणु समझौते और जैतापुर में रिएक्टरों की योजनाओं के बावजूद प्रगति धीमी रही है।
  - नागरिक परमाणु क्षति अधिनियम (2010) फ्रांसीसी कंपनियों के लिए बाधाएँ उत्पन्न करता है क्योंकि यह परमाणु दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं पर दायित्व लगाता है।
- **भूराजनीतिक अंतर:** चीन के साथ फ्रांस के मजबूत आर्थिक संबंध कभी-कभी इंडो-पैसिफिक मुद्दों पर भारत के साथ पूर्ण संरेखण को कमजोर कर सकते हैं।
  - मध्य पूर्व की राजनीति (जैसे ईरान, इज़राइल–फिलिस्तीन पर रुख) के प्रति दृष्टिकोण में कभी-कभी अंतर होता है।

निष्कर्ष

- भारत–फ्रांस रक्षा सहयोग उनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी का आधार है।
- संप्रभुता, बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय स्थिरता में साझा हितों के साथ, दोनों देश होराइज़न 2047 दृष्टि के अंतर्गत संबंधों को ऊँचा करने के लिए तैयार हैं — जिससे रक्षा संबंध अधिक सहयोगात्मक, नवोन्मेषी और निर्यात-उन्मुख बनेंगे।

Source: BS

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री द्वारा लाचित दिवस पर लाचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि अर्पित

समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाचित बोरफुकन का स्मरण किया और उन्हें साहस, देशभक्ति एवं सच्चे नेतृत्व का प्रतीक बताया।

लाचित बोरफुकन

- उनका जन्म 24 नवंबर 1622 को मोमाई तमुली बारबारुआ के यहाँ हुआ और उनका पालन-पोषण मुगल–आहोम संघर्षों के अशांत दौर में हुआ।
- वे एक महान आहोम सेनापति थे, जो 1671 की सराइघाट की लड़ाई में अपने नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध हुए, जहाँ उन्होंने राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया तथा असम की रक्षा की।
- वे अपनी दक्षता और ईमानदारी के लिए पहचाने जाते हैं। उन्हें राजा चक्रध्वज सिंहा द्वारा पाँच बोरफुकनों में से एक नियुक्त किया गया था, जिन्हें प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थीं, तथा वे असमिया साहस, वीरता एवं पहचान के प्रतीक बन गए।

विरासत

- उन्हें असम के महानतम नायकों में से एक माना जाता है, जो उस वीरता, साहस और बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं जो असमिया आत्म-परिचय को परिभाषित करती है।
- सराइघाट की लड़ाई ने उन्हें एक महान रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया और आज इसे **लाचित बोरफुकन स्वर्ण पदक** के माध्यम से स्मरण किया जाता है, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को प्रदान किया जाता है।

Source :PIB

गावी और यूनिसेफ द्वारा मलेरिया वैक्सीन की आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित

संदर्भ

- गावी, द वैक्सीन एलायंस और यूनिसेफ ने एक नए समझौते की घोषणा की है, जिससे R21/Matrix-M मलेरिया वैक्सीन को काफी अधिक सुलभ बनाया जाएगा।

परिचय

- यूनिसेफ विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन खरीदार है, जो प्रत्येक वर्ष लगभग तीन अरब खुराकें वितरित करता है।
- WHO ने अब तक दो मलेरिया वैक्सीन को पूर्व-मान्यता दी है: R21/Matrix-M (ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सह-विकसित) और RTS,S/AS01 (ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (GSK), PATH और साझेदारों द्वारा विकसित)।
- दोनों वैक्सीन WHO द्वारा बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए पूर्व-मान्य और अनुशंसित हैं तथा सुरक्षित और प्रभावी हैं।
- दोनों वैक्सीन मलेरिया के मामलों को लगभग 75% तक कम करती हैं, जब इन्हें अत्यधिक मौसमी प्रसारण वाले क्षेत्रों में मौसमी रूप से दिया जाता है — जहाँ बचपन में मलेरिया से होने वाली मृत्युओं का आधा हिस्सा होता है।

मलेरिया

- मलेरिया एक वाहक-जनित संक्रामक रोग है, जो प्लाज़्मोडियम परजीवियों के कारण होता है और संक्रमित मादा एनोफिलीज़ मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है।

Source: TH

सूर्यकिरण अभ्यास

संदर्भ

- भारत और नेपाल ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण के 19वें संस्करण की शुरुआत की है।

परिचय

- 2011 में शुरू हुआ अभ्यास सूर्यकिरण प्रतिवर्ष भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
- 18वाँ संस्करण नेपाल के सालझंडी में आयोजित किया गया था।
- यह संयुक्त सैन्य अभ्यास आतंकवाद-रोधी अभियानों और कठिन भू-भागों में संचालन पर केंद्रित है, जिसमें सैनिक जंगल में जीवित रहने, युद्धक्षेत्र में प्राथमिक उपचार, घातक हमले की रणनीति एवं हेलिबोर्न अभियानों जैसे कठोर अभ्यासों में भाग लेते हैं।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय सेना नेपाल में मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियानों में भी अग्रणी रही है, विशेष रूप से 2015 के भूकंप और COVID-19 महामारी के दौरान।

Source: DDNews

INS माहे

संदर्भ

- INS माहे, भारत का प्रथम माहे-श्रेणी एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (ASW) शैलो वॉटरक्राफ्ट, नौसेना डॉकयार्ड में थलसेना प्रमुख द्वारा कमीशन किया गया।

परिचय

- INS माहे का नाम मालाबार तट पर स्थित ऐतिहासिक तटीय नगर माहे के नाम पर रखा गया है। इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी घटक शामिल हैं।
- **विशेषताएँ:** इसमें ट्विन-शाफ्ट डीज़ल प्रणोदन है जो 6 मेगावाट से अधिक शक्ति उत्पन्न करता है।
  - इससे जहाज की अधिकतम गति 25 नॉट्स, 14 नॉट्स की गति पर 1,800 नौटिकल मील की दूरी और 14 दिनों की सहनशक्ति प्राप्त होती है।
  - माहे में प्रमुख स्वदेशी तत्वों में प्रणोदन और पावर मैनेजमेंट सिस्टम, एकीकृत कॉम्बैट मैनेजमेंट सूट, मध्यम-आवृत्ति हुल-माउंटेड सोनार, मल्टी-फंक्शन सर्विलांस रडार, टॉरपीडो और एएसडब्ल्यू रॉकेट सिस्टम शामिल हैं।

महत्त्व

- पूर्ण रूप से शामिल होने के पश्चात, माहे-श्रेणी नौसेना की पुरानी अभय-श्रेणी की कोरवेट्स को प्रतिस्थापित करेगी।
- INS माहे तटीय क्षेत्र में एंटी-सबमरीन वॉरफेयर ग्रिड को मजबूत करेगा और लिटोरल ज़ोन में जल के नीचे के खतरों की ट्रैकिंग में सुधार करेगा।
- यह भारतीय महासागर में संचालित डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की निगरानी को भी बढ़ाएगा।

Source: TH